

Action Taken Report

In

Original Application No. 649/2023

Shri Krishna Kashyap

Versus

State of Uttar Pradrsh

Order Date – 23.02.2024

Filed on Behalf of:

Greater Noida Industrial Development Authority

Index

S.N.	Discription	Page No
1	Action Taken Report	1 to 2
2	Annexure-1	3 to 4
3	Annexure-2	5 to 15
4	Annexure-3	16 to 119
5	Annexure-4	120 to 121

विषय:— माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ.ए. संख्या 649/2023 श्री कृष्ण कश्यप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के सम्बन्ध में।

कृपया अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ.ए. संख्या 649/2023 जो कि शिवम एन्कलेव कालोनी पुराना हैबतपुर के अन्तर्गत अण्डर ग्राउण्ड पाइप लाइन के द्वारा सीवेज अपशिष्ट को हिण्डन नदी में प्रवाहित करते हुए पर्यावरण के मानदण्डों का उल्लघन करने से सम्बन्धित है। माननीय एन.जी.टी. द्वारा उक्त के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनांक 23.02.2024 के अन्तर्गत बिन्दु संख्या 6 के अनुसार उक्त की रोकथाम हेतु Action taken report प्रस्तुत करने हेतु आदेशित किया गया है।

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण की महायोजना 2021 एवं 2031 के अनुसार हिण्डन नदी के डूबक्षेत्र के प्रश्नगत ग्राम पुराना हैबतपुर की भूमि में किसी प्रकार की योजना प्रस्तावित नहीं है। ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण के द्वारा इस ग्राम की भूमि के डूबक्षेत्र में किसी प्रकार का भूमि अधिग्रहण/भू-अर्जन तथा विकास कार्य (सीवर, रोड, नाली, जलापूर्ति इत्यादि) सम्पादित नहीं कराए गये हैं तथा उक्त डूब/अनियोजित क्षेत्र में प्राधिकरण द्वारा भवन निर्माण हेतु मानचित्र की स्वीकृति नहीं दी जाती है। हिण्डन नदी का डूबक्षेत्र पूर्णतः सिचाई विभाग के प्रशासनिक नियन्त्रण अधिकार क्षेत्र के अन्तर्गत आता है, इसलिए डूबक्षेत्र में किसी प्रकार के अवैध निर्माण/किसी व्यक्ति/समुह द्वारा उत्सर्जित दूषितजल/ग्रे-वाटर को हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने तथा नदी की स्वच्छता को प्रभावित करने की रोकथाम से सम्बन्धित आवश्यक कार्यवाही सिचाई विभाग द्वारा की जानी अपेक्षित है। पूर्व में भी गांव हैबतपुर स्थित हिण्डन नदी/हरनदी के क्षेत्र में स्थित खसरा संख्या 308 के भू-स्वामी शीशपाल निवासी गढी चौखण्डी द्वारा कूड़ा कचड़ा और मलवा डालकर नदी की स्वच्छता से खिलवाड किये जाने पर सिचाई निर्माण खण्ड गाजियाबाद के सींचपाल राजेश चन्द्र द्वारा आरोपितों के खिलाफ नदी की धारा अवरुद्ध करने व स्वच्छता अभियान को असफल करने की धाराओं में एफ.आई.आर. दर्ज कराते हुए आवश्यक कार्यवाही की गई है। (संलग्नक-1)

यह भी अवगत कराना है कि हिण्डन नदी के डूबक्षेत्र में किसी भी निर्माण से पूर्व सिचाई विभाग द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। जिसके उपरान्त ही डूबक्षेत्र में निर्माण की गतिविधि प्रारम्भ हो सकती है, उदाहरणतः सैक्टर 1 के निकट डूबक्षेत्र में ग्राम बिसरख की भूमि में प्रस्तावित एस.टी.पी. के निर्माण हेतु सिचाई विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने हेतु ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण कार्यालय द्वारा वर्ष 2015 से पत्राचार किया जा रहा है। परन्तु सिचाई विभाग द्वारा हिण्डन नदी के फ्लड जोन में एस.टी.पी. निर्माण हेतु वर्तमान तक अनापत्ति प्रदान नहीं की गयी है एवं सिचाई विभाग द्वारा हिण्डन नदी के डूबक्षेत्र

में एस.टी.पी. निर्माण की अनापत्ति माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा प्रदान करने के उपरान्त सिंचाई विभाग द्वारा एस.टी.पी. निर्माण के लिए अनापत्ति निर्गत किये जाने हेतु विचार करने से सन्दर्भित पत्र प्रेषित किया गया है। (संलग्न-2)

उपरोक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि प्रश्नगत शिवम एन्कलेव कालोनी पुराना हैबतपुर जो कि हिण्डन नदी के पुस्ता तथा नदी की धारा के मध्य डूब क्षेत्र में विकसित अवैध कालोनी है। कालोनी में आन्तरिक/वाहय सीवर लाइन नहीं बिछी हुई है तथा निर्मित भवनों का सीवेज भवनों में निर्मित सैप्टिक टैंक के माध्यम से सीवेज का प्रथम उपचार कर डी-स्लजर टैंकर द्वारा अन्तिम रूप से निस्तारित किया जा रहा है। किचिन, सिंक, बाथरूम तथा वासिंग मशीन इत्यादि से उत्सर्जित ग्रे-वाटर कच्ची/पक्की नालियो व ड्रेनेज पाइप के माध्यम से निस्तारित हो रहा है। हिण्डन नदी में प्रवाहित हो रहे किचिन, सिंक, बाथरूम तथा वासिंग मशीन इत्यादि से उत्सर्जित ग्रे-वाटर के रोकथाम हेतु कच्ची/पक्की नाली व ड्रेनेज पाइप को विच्छेदित कर दिया गया है। जिसकी फोटोग्राफ संकलित किये गये है तथा डूबक्षेत्र में पक्के मकान बना कर अतिक्रमण किये गये क्षेत्र की भूमि के मालिको व अतिक्रमण कर्ताओं को अतिक्रमण हटाने हेतु धारा 10 के नोटिस भी निर्गत किये है। (संलग्नक-3)

ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूबक्षेत्र अवैध रूप से विकसित शिवम एन्कलेव कालोनी द्वारा हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जा रहे दूषित जल/ग्रे-वाटर की रोकथाम व डूबक्षेत्र से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही हेतु अधिशासी अभियन्ता सिंचाई विभाग को पत्र संख्या प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-सीवर/2024/2545 दिनांक 05.03.2024 तथा प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-सीवर/2024/2580 दिनांक 26.03.2024 के माध्यम से भी सूचित किया जा चुका है। (संलग्नक-4)

दिनांक:- 02/5/24

Handwritten signature
02/5/24

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी)
ग्रे.नौ.औ. विकास प्राधिकरण

सर्विस लेन से नहीं हट पाई एंबुलेंस

769
9819

इस मुद्दे से आम जन का ध्यान हटाने और देश का माहौल खराब करके चुनावी फायदा लेने के लिए यह किया है। जनता इ-हे समझ चुकी है। इसीलिए आने वाले लोकसभा चुनाव में इन्हें चलती करने का मन बना चुकी है। - अनिल यादव, प्रवक्ता, युवा कांग्रेस।

समा

- सुरेंद्र नागर, सदस्य, गजपत



जो अल्पसंख्यक लोग विदेश से हिंदुस्तान में आ गए नागरिकता नहीं मिल पाई थी। उन्हें हक मिलेगा। जो समय से नागरिकता का इंतजार कर रहे थे। यह मोर्दा सरकार का ऐतिहासिक कदम है। इससे किसी को डर जरूरत नहीं है। कुछ लोग भ्रम फैला रहे थे। यह सभी कल्याण के लिए लाया गया है। - धीरेंद्र सिंह, विधायक



कि एनसीआर में नकली चिने के मामले

क लोगो तक मोबाइल के र स्पेस देकर इकर 57272

311.COM



10 मिनट बाद पहले खत्म करेगे।

प्रेत रसायिक

हरनंदी नदी में कचरा डाल दूषित करने पर केस दर्ज

जास, नोएडा : कोतवाली फेज तीन क्षेत्र स्थित हरनंदी में कूड़ा व मलबा डालने का मामला सामने आया है। सिंचाई विभाग के सौचपाल ने तीन नामजद व कुछ अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया गया है। सिंचाई निर्माण खंड गाजियाबाद के सौचपाल राजेश चंद्र ने बताया कि खंड का हरनंदी तटवर्ती बंध हरनंदी के दाएं किनारे नोएडा क्षेत्र को बाढ़ से सुरक्षा दिए जाने के लिए बनाया गया है। गांव हैबतपुर स्थित हरनंदी में कूड़ा-कचरा और मलबा डालकर नदी की स्वच्छता से खिलवाड़ किया जा रहा है। शिकायतकर्ता के मुताबिक स्थानीय लोगों ने बताया कि खसरा संख्या-308 के भू-स्वामी शीशपाल निवासी गढ़ी चौखंडी द्वारा हरनंदी में मलबा डाला जा रहा है। इस कार्य में सत्य और रामनिवास यादव भी शामिल हैं। आरोपितों के खिलाफ नदी की धारा अवरुद्ध करने व स्वच्छता अभियान को असफल करने की धाराओं में एफआइआर दर्ज की गई।

मानवता शर्मसार करने पुलिसकर्मियों की जांच

जास, नोएडा : एक सप्ताह पहले नाले में मिले व्यक्ति के शव को एंबुलेंस के बजाय टेंपो में लेकर पोस्टमार्टम कराने पहुंचे पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच बैठाई गई है। नोएडा जॉन के डीसीपी ने एसीपी प्रथम को जांच सौंपते हुए जल्द से जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं।

पांच मार्च 2024 को दैनिक जागरण के अंक में 'शव को टेंपो में लादकर पोस्टमार्टम कराने पहुंची पुलिस' नामक शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया गया था। समाचार में बताया गया था कि चार मार्च को कोतवाली सेक्टर-24 क्षेत्र स्थित होशियारपुर के नाले में एक व्यक्ति का शव मिला था। पुलिस ने किसी तरह शव को बांस व रस्सी के सहारे बाहर निकाला। शव की जेब से पैन कार्ड के मुताबिक मृतक की पहचान



दैनिक जागरण में पांच मार्च को प्रकाशित समाचार 'जास' में गांव नंगला गांजू स मैनपुरी के सतीश शर्मा की मृतक सेक्टर-24 में रहता था। को एंबुलेंस के बजाय टेंपो में लादकर पोस्टमार्टम कराने पहुंची पुलिसकर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग की कोतवाली निशुल्क शव कोतवाली निशुल्क शव की जानकारी नहीं फोटो सहित प्रकाशित पुलिस अधिकारी हरनंदी डीसीपी विद्या सागर सिंह की जांच की जांच व

सर्विस लेन से नहीं हट पाई एंबुलेंस

जास, नोएडा : सेक्टर-62 स्थित फोर्टिस अस्पताल के बाहर फैले अतिक्रमण को हटाने के लिए सोमवार सुबह करीब साढ़े 11 बजे

सोमवार को फोर्टिस अस्पताल के बाहर अतिक्रमण हटाने पहुंची थी टैफिक पुलिस लोगों को शान

शाहबेरी

जागरण संवाददाता, इंडिया टुडे कस्टोडियन विभाग

प्रेषक,

अधिसासी अभियन्ता
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली-25

प्रेषित,

अपर पुलिस उपायुक्त
सेन्ट्रल जोन (द्वितीय)
जनपद-गौतमबुद्धनगर

पत्रांक:- 1984/हे0व0ख0/

दिनांक:- 11/5/2022

विषय:- जनपद गौतमबुद्धनगर में हिण्डन नदी के बाये किनारे पर स्थित ग्राम तुगलपुर के डूब क्षेत्र में अवैध प्लार्टिंग व अवैध निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में सहायक अभियन्ता हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला द्वारा अवगत कराया गया है कि हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र ग्राम तुगलपुर के खसरा सं०-724 व 725 डूब क्षेत्र की भूमि में श्री राजकुमार पुत्र श्री प्रेम सिंह निवासी ग्राम गुलावली, जिला गौतमबुद्धनगर व श्री संजय चोपड़ा पुत्र सोमनाथ चोपड़ा निवासी-ब्लाक आर०जेड० 93/2 जय विहार, नजफगढ़ नई दिल्ली द्वारा अवैध रूप से प्लार्टिंग कर अवैध निर्माण कार्य कराये जा रहे हैं। उक्त प्रापटी डीलरों के विरुद्ध थाना-नालेज पार्क में एफ०आई०आर० दर्ज करा दी गई है (छात्र प्रति संलग्नक)

आपको अवगत कराना है कि मा० नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल प्रिंसिपल ऑफ़ द्वारा किसी भी नदी के डूब क्षेत्र में निर्माण कार्य पर पूर्णतः प्रतिबंधित है। आपसे अनुरोध है कि डूब क्षेत्र में हो रहे अवैध निर्माण/प्लार्टिंग को रोकने हेतु अपने अधिनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों को अदेशित करने का कष्ट करें। ताकि डूब क्षेत्र में होने वाली अवैध गतिविधियों पर रोक लगायी जा सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

अधिसासी अभियन्ता
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली-25

पत्रांक:- 1984/हे0व0ख0/

दिनांक:-

2022

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. जिलाधिकारी महोदय जनपद गौतमबुद्धनगर।
2. मुख्य कार्यपालक जनपद गौतमबुद्धनगर
3. उपरजस्व अधिकारी हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला
4. सहायक अभियन्ता पंचम हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्र सं-115/सं०अ०पं०/आलाबास जयवन्ध/दिनांक-04.05.2022 के क्रम प्रेषित है।

अधिसासी अभियन्ता
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली-25

62005

12-9-22

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता,
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली-25

ज्वाइंट सचिव, सचिव, अधिकासी अभियन्ता
मेट्रो कॉरपोरेशन, जयपुर गौतमबुद्धनगर

दिनांक 6/9/2022

पत्रांक 3156 है0व0खं0/

विषय- ग्राम बिसरख के निकट हिन्डन नदी के बन्धे के अन्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने के संबंध में।
संदर्भ- आपका पत्रांक-प्रोजेक्ट/वरि0प्रब0-सीवरेज/2022/1641 दिनांक 22.08.2022।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। इस संबंध में अवगत कराना है कि विषयक कार्य हेतु परियोजना दिनांक 21.10.2021 को विभागीय मुख्य अभियन्ता समिति, लखनऊ की बैठक में क्रम संख्या 178 पर प्रस्तुत की गई थी। फ्लड प्लेन जोन के अन्तर्गत होने से समिति द्वारा इस योजना को युक्ति संगत नहीं पाया गया। इस संबंध में अवगत कराना है कि यदि माननीय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा फ्लड जोन में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने की अनापत्ति प्रदान की जाती है तो परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत की जा सकती है। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

भवदीय

अधिकासी अभियन्ता
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली-25

पत्रांक- हैवखं/दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-तृतीय, हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को उनके पत्रांक 281/स0अ0तृतीय/ दिनांक 06.09.2022 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

14/9/22

अधिकासी अभियन्ता
हेड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली-25

प्रेषक,

अधिकासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

प्रेषित,

श्री कपिल सिंह (वर्षि प्रबन्धक सीवर)
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट सं०-०१, सैक्टर-नॉलेज पार्क ४,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०

पत्रांक- 1260 / है०व०ख०/

दिनांक: 02/05/22

विषय- ग्राम बिसरख के निकट हिन्दन नदी के बंधे के अन्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उक्त पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि माननीय एन०जी०टी० के आदेशों के क्रम में सभी सीवेज का ट्रीटमेंट किया जाना अतिआवश्यक है जिसके क्रम में ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा आमानाबाद बन्ध की दौरी तरफ नदी व बंध के बीच में फ्लड जोन में एस०टी०पी० निर्माण हेतु सिंचाई विभाग से अपेक्षा की गयी थी जिसके अनुपालन में आई०आई०टी० रुइकी द्वारा मॉडल स्टडी कर फिजिविल्टी रिपोर्ट तैयार की गई जिसे विभागीय मुख्य अभियन्ता समिति, लखनऊ की बैठक में दिनांक 21 अक्टूबर, 2021 को क्रम संख्या-178 पर प्रस्तुत की गयी। फ्लड जोन के अन्तर्गत होने से समिति द्वारा इस योजना को युक्तिसंगत नहीं पाया गया। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि यदि माननीय एन०जी०टी० द्वारा फ्लड जोन में एस०टी०पी० बनाने की अनापत्ति प्रदान की जाती है तो उक्त परियोजना मुख्य अभियन्ता समिति में विचारार्थ पुनः प्रस्तुत की जा सकती है।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिकासी अभियन्ता

हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

पत्रांक- / है०व०ख०/ तदिनांक:

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-तृतीय हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को सूचनार्थ प्रेषित है।

अधिकासी अभियन्ता

हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

MGR

L.M. - Lower
2360 / 4-5-22



रूडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

संख्या 01, सैक्टर-नॉलेज पॉर्क-4 ग्रेटर नौएडा-सिटी
जिला - गौतमबुद्धनगर, (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक:- प्रोजेक्ट/वरि0प्रब0-सीवरेज/2022/1641

अनुसारक-2
दिनांक 22.08.2022

सेवा में,

अधिसासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नगर
ओखला नई दिल्ली-25

विषय:- ग्राम बिसरख के निकट हिन्दन नदी के बन्धे के अन्दर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या 725/है0व0ख0 दिनांक 12.03.2021 का अवलोकन करना चाहे, जिसमें आपके द्वारा हिन्दन नदी के डूब क्षेत्र में प्रस्तावित एस.टी.पी का बाढ से सुरक्षा के लिए रिग बांध बनाने हेतु वर्तमान में प्रचलित विभागीय दर पी.डब्ल्यू.डी एवं डी.एस.आर. 2018 के आधार पर प्राक्कलन धनराशि रू0 2904.65 लाख से अवगत कराया गया है। उक्त आगणन में प्राधिकरण के नियमानुसार तकनीकी विभाग की टिप्पणी के क्रम में निम्न संशोधन वांछित है:-

1. संलग्न आगणन की Bill of Quantity की Language में लिये गये मदों का प्राविधान डी0एस0आर0-18 तथा पी.डब्ल्यू.डी. स्टूड्यूल से है जिसकी मद का कोड अंकित किया जाना उचित होगा।
2. प्राधिकरण में वर्तमान में एस0ओ0आर0-2020 पी0डब्ल्यू0डी0 बुलन्दशहर वृत्त तथा डी0ए0आर0-18 की दर विश्लेषण लागू है। इसलिए आगणन का गठन डी.एस.आर.-18 की विश्लेषण तथा एस0ओ0आर0-2020 पी0डब्ल्यू0डी0 बुलन्दशहर वृत्त पर किया जाना उचित होगा।
3. आगणन में G.S.B, W.M.M.D.B.M.B.C, Tack Coat दरें Morth के अनुसार लिया जाना उचित होगा।
4. आगणन में 8.875 प्रतिशत सैन्टेज चार्ज एवं 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी लिये जाने के प्राविधान हेतु शासनादेश संलग्न किया जाना उचित होगा। अन्य विभागों में सैन्टेज 4.35 प्रतिशत लिया जाता है।
5. कराये जाने वाले कार्यों के X-Section संलग्न करना चाहें।
6. कार्य हेतु माडल स्टडी, मृदा परीक्षण, विस्तृत सर्वेक्षण एवं रिग बांध की डिजाइन की विस्तृत रिपोर्ट संलग्न किया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में आपको पत्र संख्या प्रोजेक्ट/वरि0प्रब0-सीवरेज/2021/859 दिनांक 18.05.2021 एवं प्रोजेक्ट/वरि0प्रब0-सीवरेज/2021/1343 दिनांक 11.03.2022 के माध्यम से पूर्व में भी अवगत कराया गया था। परन्तु आपके द्वारा अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

(कपिल सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक-सीवर

प्रतिलिपि:-

- स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए) महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक (परियोजना) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ प्रबन्धक-सीवर

प्रेषक,

सहायक अभियंता-तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-(सीवर)
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट सं०-०१, सैक्टर-नॉलेज पार्क ४,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला गौतमबुद्धनगर, ३०५०

40032
25/6/2021

पत्रांक- 243 / स०अ०त०/

दिनांक: 24/6/2021

विषय- ग्राम बिसरख के निकट हिन्डन नदी के बंधे के अन्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लान्ट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक प्रोजेक्ट/वरि०प्रब०-सीवेज/2021/763 दि० 04.03.2021

इस कार्यालय का पत्रांक 172/स०अ०त०/दिनांक 22.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के संदर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अधोहस्ताक्षरी ने अधिशासी अभियंता महोदय के पत्रांक 725/है०व०ख०/दि० 12.03.2021 द्वारा हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र में प्रस्तावित एस०टी०पी० की बाढ़ से सुरक्षा के लिए रिंग बन्ध बनाने हेतु प्रेषित प्राक्कलन धनराशि रु० 2904.65 लाख के विरुद्ध उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु धनराशि की वांछना की थी। किन्तु आप द्वारा आज तिथि तक कोई धनराशि उपलब्ध नहीं करायी गयी है जिससे रिंग बन्ध बनाने के लिए आवश्यक प्राथमिक कार्यवाही आपके स्तर पर ही लम्बित है जो अत्यन्त खेदजनक है।

अतः उक्त सम्बन्ध में आपसे पुनः अनुरोध है कि विषयांकित कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर धनराशि इस खण्ड को "SBI Account S.G.L.O. Executive Engineer, Head Works Division, Agra Canal, Okhla, New Delhi-25" के नाम डिपोजिट मद में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

सहायक अभियंता-तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

पत्रांक- /स०अ०त०/दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को सूचनार्थ प्रेषित है।

सहायक अभियंता-तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

[Handwritten signature]

SM-sewer
1531/28-6-21



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

भूखण्ड संख्या 01, सैक्टर-नॉलेज पॉर्क-4 ग्रेटर नौएडा-सिटी
जिला - गौतमबुद्धनगर, (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक:- प्रोजेक्ट/वरि0प्रब0-सीवरैज/2021/859

दिनांक 18.05.2021

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नगर
ओखला नई दिल्ली-25

विषय:- ग्राम विसरख के निकट हिन्दन नदी के बन्धे के अन्दर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या 725/है0व0ख0 दिनांक 12.03.2021 का अवलोकन करना चाहें, जिसमें आपके द्वारा हिन्दन नदी के डूब क्षेत्र में प्रस्तावित एस.टी.पी. का बाढ से सुरक्षा के लिए रिग बांध बनाने हेतु वर्तमान में प्रचलित विभागीय दर पी.डब्ल्यू.डी. एवं डी.एस.आर. 2018 के आधार पर प्राक्कलन धनराशि रू0 2904.65 लाख से अवगत कराया गया है। उक्त आगणन में प्राधिकरण के नियमानुसार तकनीकी विभाग की टिप्पणी के क्रम में निम्न संशोधन वांछित है:-

1. सलग्न आगणन की Bill of Quanty की Language में लिये गये मदों का प्राविधान डी0एस0आर0 या पी.डब्ल्यू.डी. स्टूड्यूल से है जिसका मद कोड अंकित किया जाना उचित होगा।
2. आगणन की दरें पी.डब्ल्यू.डी. एवं डी.एस.आर.-18 की ली गयी हैं। प्राधिकरण में वर्तमान में डी.एस.आर.-13 लागू है। इसलिए आगणन का गठन डी.एस.आर.-13/पी.डब्ल्यू.डी. एस.ओ.आर.-13 पर किया जाना उचित होगा।
3. आगणन में मिट्टी एवं G.S.B, W.M.M,D.B.M,B.C, Tack Coat दरें GNIDA A.R. के अनुसार लिया जाना उचित होगा।
4. आगणन में 6.875 प्रतिशत सैन्टेज चार्ज एवं 2 प्रतिशत कन्टीजेन्सी लिये जाने के प्राविधान हेतु शासनदेश सलग्न किया जाना उचित होगा। अन्य विभागों में सैन्टेज 4.35 प्रतिशत लिया जाता है।
5. कराये जाने वाले कार्यों के X-Section सलग्न करना चाहें।
6. कार्य हेतु माडल स्टडी, मृदा परीक्षण, विस्तृत सर्वेक्षण एवं रिग बांध की डिजाइन की विस्तृत रिपोर्ट सलग्न किया जाना उचित होगा।

(कपिल देव सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक-सीवर

प्रतिलिपि:-

- स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (ए) महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक (परियोजना) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- उप महाप्रबन्धक (परियोजना) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ प्रबन्धक-सीवर

23630
23-3-21

प्रेषक,

सहायक अभियंता-तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-(सीवर)
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट सं०-०१, सैक्टर-नॉलेज पार्क ४,
ग्रेटर नौएडा सिटी, जिला गौतमबुद्धनगर, ३०५०

पत्रांक- 172 / स०अ०त०/

दिनांक: 22/03/2021

विषय- ग्राम विसरख के निकट हिन्डन नदी के बंधे के अन्दर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ- आपका पत्रांक प्रोजेक्ट/वरि०प्रब०-सीवरेज/2021/763 दि० 04.03.2021
महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि आपके पत्रांक प्रोजेक्ट/वरि०प्रब०-5/2019/6987 दिनांक 25.11.2019 के माध्यम से धनराशि प्राप्त करने के उपरान्त ग्राम विसरख के नये रिंग बंध के निर्माण हेतु आवश्यक मॉडल स्टडी इत्यादि हेतु आई०आई०टी रुइकी को प्रेषित कर दिया गया था, परन्तु कुछ ही समय उपरान्त कोरोना-19 महामारी के दृष्टिगत भारत सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया जिसके कारण उक्त कार्य हेतु मॉडल स्टडी फिजिविलिटी रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो सकी। अवगतनीय है कि आई०आई०टी रुइकी से मॉडल स्टडी फिजिविलिटी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त रिपोर्ट के आधार पर हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र में प्रस्तावित एस०टी०पी० की बाढ़ से सुरक्षा के लिए रिंग बन्ध बनाने हेतु एक प्राक्कलन धनराशि रु० 2904.65 लाख का गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक 725/है०व०स०/दि० 12.03.2021 द्वारा आपको प्रेषित कर दिया गया है।

अतः विषयांकित कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर धनराशि इस खण्ड को "SBI Account S.G.L.O. Executive Engineer, Head Works Division, Agra Canal, Okhla, New Delhi-25" के नाम डिपोजिट मद में उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि तदनुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

सहायक अभियंता-तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

पत्रांक- /स०अ०त०/दिनांक:

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर ओखला को सूचनार्थ प्रेषित है।

M/S-8
79

सहायक अभियंता-तृतीय
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला नई दिल्ली-25

S. m. Sewer
23/24-3-21

प्रेषक,

अधिसासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली-25

प्रेषित,

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-(सीवर)
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट सं०-01, सैक्टर- नॉलेज पार्क 4,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०।

पत्रांक- 725 / है०व०ख०/

दिनांक- 12/08/2021

संदर्भ- आपका पत्रांक प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-(सीवर)/2019/85, दिनांक 01.07.2019

विषय- ग्राम बिसरख के निकट हिन्डन नदी के बन्धे के अन्दर एस०टी०पी० बनाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा ग्राम बिसरख के निकट हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र में बन्धे के अन्दर रिंग बन्ध बनाकर प्रस्तावित एस०टी०पी० निर्माण हेतु अवरोध किया गया था एवं रिंग बन्ध निर्माण हेतु आगणन प्रस्तुत करने की वांछना की गई थी। उक्त के क्रम में आई०आई०टी० रुडकी से प्राप्त मॉडल स्टडी फिजिविलिटी रिपोर्ट के आधार पर हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र में प्रस्तावित एस०टी०पी० की बाढ़ से सुरक्षा के लिए रिंग बन्ध बनाने हेतु एक प्राक्कलन गठित किया गया है, जिसमें भूमि कय की धनराशि सम्मिलित नहीं है। रिंग बन्ध हेतु भूमि एवं एन०जी०टी० आदि से सम्बन्धित आवश्यक अनापत्ति ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के क्रम डूब क्षेत्र में प्रस्तावित एस०टी०पी० की बाढ़ से सुरक्षा के लिए रिंग बन्ध बनाने हेतु वर्तमान में प्रचलित विभागीय दर अनुसूची, पी०डब्ल्यू०डी० एवं डी०एस०आर० 2018 के आधार पर एक प्राक्कलन "ESTIMATE FOR CONSTRUCTION OF RING BUND ALONGWITH AMANABAD BUND IN LEFT SIDE FLOOD PLAIN OF HINDON RIVER IN DISTT. G.B.NAGAR" धनराशि रु० 2904.65 लाख का गठित किया गया है।

अतः उपरोक्त कार्य के सम्पादन हेतु आवश्यक कार्यवाही कर "SBI Account S.G.L.O. Executive Engineer, Head Works Division, Agra Canal, Okhla, New Delhi-25" के नाम डिपोजिट मद में उक्त धनराशि बैंक/ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उक्त कार्य को कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

अधिसासी अभियन्ता

हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली-25

पत्रांक- / है०व०ख०/तदिनांक-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-तृतीय, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिसासी अभियन्ता

हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली-25

15.3.2021



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मूखण्ड संख्या 01, सैक्टर-नॉलेज पॉर्क-4 ग्रेटर नौएडा-सिटी
जिला - गौतमबुद्धनगर, (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक:- प्रोजेक्ट/वरि0प्रब0-सीवरेज/2021/763

दिनांक 09.03, 2021

सेवा में,

अधिशाली अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नगर
ओखला नई दिल्ली-25

विषय:- ग्राम बिसरख के निकट हिन्दन नदी के बन्धे के अन्दर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक संख्या 2782/है0व0ख0 दिनांक 28.07.2019 का अवलोकन करना चाहें, जिसमें आपके द्वारा नये रिंग बांध का निर्माण किये जाने हेतु माडल स्टडी विस्तृत सर्वेक्षण एवं मृदा परीक्षण आदि के लिए धनराशि रू0 64.74 लाख की मांग की गई थी। जिसके सापेक्ष हमारे कार्यालय पत्र संख्या प्रोजेक्ट/वरि0 प्रब0-5/2019/6987 दिनांक 25.11.2019 के माध्यम से ग्राम बिसरख के नये रिंग बांध के लिए माडल स्टडी इत्यादि हेतु S.G.L.O. Executive Engineer Head Work Viv-Agra, Cenal Okhla, New Delhi के पक्ष में HDFC बैंक से जारी बैंक संख्या 008838 रू0 64.74,00.00 दिनांक 22.11.2019 संलग्न कर प्रेषित किया गया था। जिसके भुगतान हुए 1 वर्ष से अधिक व्यतीत हो चुका है, परन्तु अभी तक आपके द्वारा नये बांध की कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं की गई है। जो कि अत्यान्त खेद का विषय है, नये रिंग बांध का निर्माण न होने के कारण एस0टी0पी0 का निर्माण कार्य अवरूद्ध है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि ग्राम बिसरख के निकट नये रिंग बांध का निर्माण हेतु आगणन प्रेषित करें, जिससे कि एस0टी0पी0 के कार्य में किसी प्रकार का विलम्ब न हों।

(कपिल देव सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक-सीवर

प्रतिलिपि:-

- स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी) महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
- महाप्रबन्धक (परियोजना) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- उप महाप्रबन्धक (परियोजना) महोदय को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रबन्धक/सहायक प्रबन्धक को इस आशय से प्रेषित कि व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

वरिष्ठ प्रबन्धक-सीवर



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

मुखण्ड संख्या-1 सेक्टर नोलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला-गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वरिष्ठप्रबन्ध-05/2019/6987

दिनांक: 25, 11, 2019

सेवा में,

S.G.L.O
Executive Engineer,
Head work Div-Agra
Canal Okhla, New Delhi

महोदय,

ग्राम-विसरख के बांध को शिफ्ट करने हेतु S.G.L.O Executive Engineer Head work Div-Agra, Canal Okhla, New Delhi के पक्ष में एच.डी.एफ.सी. बैंक से पारित चैक संख्या:-006838 रू0 64,74,000 दिनांक 22.11.2019 संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(श्रीपाल सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल-05

प्रतिलिपि:-

- स्टॉफ आफिसर को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय को सादर संज्ञानार्थ
- अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (जी) महोदय को सादर अवलोकनार्थ
- महाप्रबन्धक (परियोजना) महोदय को सूवनार्थ प्रेषित।

वरिष्ठ प्रबन्धक वर्क सर्किल-05

Secured
Jain's Sign
OF
8923356933
Head work Div-Agra
OKHla N.D. S.

प्रेषक,

अधिशाली अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली-25

प्रेषित,

श्री श्रीपाल सिंह
वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-(सीवर)
ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण,
प्लॉट सं०-01, सैक्टर- नॉलेज पार्क 4,
ग्रेटर नोएडा सिटी, जिला गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०।

पत्रांक- 2782

/है०व०ख०/

दिनांक- 26/07/2019

विषय- ग्राम बिसरख के निकट हिन्डन नदी के बन्धे के अन्दर एस०टी०पी० बनाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक आपके द्वारा ग्राम बिसरख के निकट हिन्डन नदी के डूब क्षेत्र में बन्धे के अन्दर रिंग बन्ध बनाकर प्रस्तावित एस०टी०पी० निर्माण हेतु अनापत्ति एवं रिंग बन्ध निर्माण हेतु आगणन प्रस्तुत करने की वांछना की गई है। उक्त के क्रम में पूर्व में प्रेषित पत्रों एवं अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी के सम्मुख हुई वार्ता के क्रम में आई०आई०टी० रुडकी से उक्त कार्य की मॉडल स्टडी हेतु अनुरोध किया गया है, जिसकी फिजिविलिटी रिपोर्ट के बाद अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की कार्यवाही करना सम्भव हो सकेगा। आई०आई०टी० रुडकी से उक्त कार्य की मॉडल स्टडी हेतु प्रेषित प्रस्ताव एवं मॉडल स्टडी हेतु आवश्यक विस्तृत सर्वेक्षण एवं मृदा परीक्षण आदि हेतु एक प्राक्कलन धनराशि रु० 64.75 लाख का तैयार किया गया है। रिंग बन्ध निर्माण हेतु आगणन मॉडल स्टडी उपरान्त प्रेषित किया जाना सम्भव हो सकेगा एवं रिंग बन्ध हेतु भूमि उपलब्ध कराना ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का उत्तरदायित्व होगा।

उक्त के क्रम अनुरोध है कि मॉडल स्टडी हेतु, विस्तृत सर्वेक्षण एवं मृदा परीक्षण आदि हेतु प्राक्कलित धनराशि रु० 64.74 लाख "SBI Account S.G.L.O. Executive Engineer, Head Works Division, Agra Canal, Okhla, New Delhi-25" के नाम डिपोजिट मद में बैंक/ड्राफ्ट के माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि उक्त कार्य को कराने हेतु अग्रिम आवश्यक कार्यवाही की जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

अधिशाली अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली-25

पत्रांक- /है०व०ख०/दिनांक-

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता-तृतीय, हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर, ओखला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधिशाली अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली-25

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

169, चितवन एस्टेट, सैक्टर गामा,
ग्रेटर नौएडा, जिला- गौतमबुद्धनगर, उ०प्र०

www.greaternoidaauthority.in

e mail: authority@gnida.in

अनुस्मारक-2

पत्रांक- प्रोजेक्ट/ वर्क सर्किल-5/2017/ 4577

दिनांक 27 /11/2017

सेवा में,

अधिशारी अभियन्ता,
हेड वर्क्स खण्ड, आगरा नहर,
ओखला, नई दिल्ली-110025.

विषय:- ग्राम बिसरख के निकट हिण्डन नदी के बन्धे के अन्दर सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट बनाये जाने हेतु अनापत्ति एवं रिंग बाँध बनाये जाने हेतु प्रस्ताव।

सन्दर्भ:- खण्डीय पत्रांक-

1. प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-5/2015/1318, दिनांक 19.11.2015
2. प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-5/2016/1650, दिनांक 22.02.2016
3. प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-5/2016/1944, दिनांक 04.05.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्रों का अवलोकन करना चाहें, जिनके माध्यम से अवगत कराया गया है कि ग्राम बिसरख के निकट हिण्डन नदी बन्धे के अन्दर 130,000.00 वर्गमीटर भूमि में एस०टी०पी० का निर्माण किया जाना प्रस्तावित है। उक्त एस०टी०पी० की सुरक्षा के दृष्टिगत हिण्डन नदी की धारा व एस०टी०पी० के मध्य रिंग बाँध का निर्माण भी कराया जाना है।

उक्त एस०टी०पी० निर्माण से पूर्व सिंचाई विभाग से अनापत्ति प्रामाण पत्र निर्गत किया जाना अपेक्षित है। ग्रेटर नौएडा वेस्ट क्षेत्र में तीव्र गति से बढ़ते हुए आबादी घनत्व तथा माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के निर्देशानुसार हिण्डन नदी में जाने वाले दूषित जल को शोधन उपरान्त ही नदी में प्रवाहित करने हेतु एस०टी०पी० का निर्माण प्राथमिकता से कराया जाना आवश्यक है।

अतः आपसे पुनः अनुरोध है कि सीवेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के निर्माण हेतु अनापत्ति प्रमाण- पत्र एवं रिंग बाँध बनाये जाने हेतु प्रस्ताव/ आगणन शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करने का कष्ट करें, ताकि प्रकरण में यथाशीघ्र अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

(श्रीपाल सिंह)

वरिष्ठ प्रबन्धक, वर्क सर्किल-5

प्रतिलिपि:

1. निजी सचिव को मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के संज्ञानार्थ प्रेषित।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अवलोकनार्थ प्रेषित।
3. महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ प्रेषित।
4. उप महाप्रबन्धक (परियोजना) को सूचनार्थ प्रेषित।
5. प्रबन्धक / सहायक प्रबन्धक को उक्त प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/1294

दिनांक: 20/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री श्री श्री. जनपाल रावत
सदस्य नि.ग्राम हवेलपुर


आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हवेलपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 68 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 28/03/24 को अपराहन 01.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

अनुप्रयोग - 1 ग्राम हैनतपुरा की खसरा नं० - 68 पर कार्य निधीय

63



अनुप्रयोग - 2 ग्राम हैनतपुरा की खसरा नं० - 68 पर कार्यालय के कार्य में कार्य निधीय

अध्यक्ष प्रबन्धक

प्रबन्धक
अधीन



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/1292

दिनांक: 19/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री 57-5 श्री 57-5
170 श्री 57-5
170-1-1

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 68 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 28/03/24 को अपराहन 12:00 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नॉलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/583

दिनांक: 03/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री विश्वेश्वर झा
उत्तरी महेन्द्र झा
Add- D-5 30th विनोद नगर
दिल्ली 110092

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर बनपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दें अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/24 को अपराहन 3:00 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं० 01, रोक्टर कॉलेज मार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/ 584

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती झाकांसा कुमारी
पत्नी श्री देवी चरण
पता- ऑफिस रोड हाजीपुर
खगारिया पुरापुर (बिहार)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हाजीपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
- तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/585

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती अंगरी
पत्नी श्री देशराज गौतम
पता:- मकान नं०-301, ओल्ड क्विथ नगर
गाजियाबाद (उ० प्र०)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैबतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इरा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को
अपराहन 01/50 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/586

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती मधु मन्वी श्री लिव्ज वर
Add- 118 चरवा लिव्ज कार्लोनी
शाहिगावा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हट्टा के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट न०-०१, सेक्टर नौलोज पार्क-४, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-१/२०२४/५४७

दिनांक: ०९/०३/२०२४

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ की धारा १० के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री सुधांशु, पुत्र श्री राकेश
कुमार तिवारी-

पता: मकान नं० २५५, भोवापुर गांव,
कोशाब्दी, गाजियाबाद, (उ० प्र०)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (१) ग्राम/सेक्टर हैबलपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-५९
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-१ में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-२ में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (२) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-१ में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (३) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के ०७ दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दें अन्यथा की दशा में दिनांक १३/०३/२०२४ को
अपराहन १३/०३/२०२४ बजे अचोहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।


विशेष कार्यधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/588

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री. रालवर सिंह पुत्र श्री सुकुट
लाल
श्री. अखन सिंह पुत्र श्री कुलकर्णी

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर हैवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अटोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये ध्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंटर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/589

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती नतन देवी
पत्नी श्री पंकज कुमार झा
पता- ग्राम बाराव, नवादा (बिहार)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हैतलपुर के खसारा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शाई गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को
अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/590

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री महेश्वर परीडा,
पुत्र श्री नरदारी परीडा
पता- कान फुलिया गुपति, फे-फारा,
राज-नगर (झोड़ीशा)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हैदतपुर के खसरा संख्या/मूखण्ड संख्या- 59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्मति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्मति पर आपको द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को अपराह्न 01:00 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/591

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री विनोद कुमार उलहाड़ी शेख
कुमार

पता- सैक्टर नं० 59/37 पुष्पकल
गली नं० 5 स्थल ब्लॉक बंडावली फ्लैट 3/1 दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हवापुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

75

20
28

10
25/04/24

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/592

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

जी.आलोक कुमार उताजी
राजेश्वर काल मंदिर - भू संख्या-225
मोर्षी स्कूल प्लॉट, निकर चण्ड विहार
जंजवली बाजार, बाराबंकी जिला, दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हेबल पूर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-199
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की संभावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 17/03/2024 को
अपराहन 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।

[Signature]

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट न०-०१, सैक्टर नॉलेज पार्क-४, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-१/२०२४/५९३

दिनांक: ०९/०३/२०२४

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ की धारा १० के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री जय
प्रकाश शर्मा हरदोई (ड० ५७)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (१) ग्राम/सैक्टर हेबला पर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-१९९
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-१ में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-२ में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (२) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-१ में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (३) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के ०७ दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक १३/०३/२०२४ को
अपराहन ०१:०० बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नौलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/594

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

आलम उत्र श्री खुवाली
आसारी सत- 67 प्रथम तल
उल्लिह का लोरी लखी नगर
श्री दिल्ली दिल्ली - 92

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैषत पर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-199
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करें जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को
अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की बसूली आपसे कर
ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नौलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/595

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मो. जूही पुत्र श्री मो.
हेमलाल - कुजपूरपुर
तिलहर

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हेमलालपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-199
- तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को
अपराहन 01:50 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की दसूली आपसे कर
ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/596

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री उदीप उग्र श्री ओम शंकर
बल-डोल्स देहापुर नौएडा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हेटा पूर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-199
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूरक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

82

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/597

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री माँ आर आलम पुत्राजी
रुकुनादीन डारानी मस्जिद - 67 पुर्वा
लाल पुलिस कालोनी लखीमनगर
पूर्वी दिल्ली - 11002

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर हेवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 199
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 17/03/2024 को
अपराहन 01/03 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें क्यो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नॉलंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

23

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/598

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती कुमारी मीनाजी, पत्नी श्री
राजेश कुमार शर्मा - ग्राम जयपुर
विलासपुर गढ़वा जिल्ला

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हैलापुर के खसरा संख्या/गूखण्ड संख्या-199
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को
अपराहन 01.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

82
34

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/599

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री तयसलीम खान पुत्र श्री इकरीश
खान प्लॉट नं० 1/599
पोस्टा जमानगर कोटा
जान 2024

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर हेक्टर पर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-199
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 15/03/2024 को
अपराहन 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।


विशेष कार्यधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

35

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/600

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

~~श्री मती नीलम देवी पत्नी श्री~~
~~पंकज कुमार राय सिविल-ग्रह नं०~~
~~1226 ग्लोबल एवेन्यू ए-कलेक्ट~~
~~ब्लॉक कालोनी गाजियाबाद~~

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर इलाहाबाद के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-199
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 13/03/2024 को
अपराहन ... बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें क्यो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की दसूली आपसे कर
ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

26

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/68/

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती दानिस्ता बेगम पत्नी श्री
मोहम्मद सलीम खत-गडाला
गाँव की कैंप ब्लाकी मंडिने दिजली
110094

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैलापुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-199
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 12/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

37

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/602

दिनांक: 09/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती शिवा विश्वास पत्नी
स्तनिक विकास भवन-आरजेड
2716-ए गली 9024, लुगलकाबाद
खुशी जिला - 19

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हेखतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-199
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 18/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट न०-01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/553

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती उमंगली पत्नी श्री दिनेश
कुमार Hdd - H No. 342 लो
No. 1 साउथ अनारकली कृष्णा
नगर दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हवतथा के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 10/03/24 को अपराहन 1.00 बजे अद्योहस्तादारी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

87

39

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/554

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती यम्यन देवी पत्नी श्री विनय
कुमार Noida- गाँव ब्यालपुर
मोहल शेरपुर इलाका 3090

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर बेतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 05/03/2024 को अपराहन 05/03/2024 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं-01, सैक्टर नॉलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

40

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/555

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री जमनदीप सिंह पुलक्री रजदीर
सिंह नवद- खतरा नं 128
जनदी सरकारी स्कूल भिडित
स्कूल, कुतकी, मुजफ्फर नगर 2090

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर खतरा के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 54
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को
अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।

10

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/556

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री राज विहारी शाह उर्फ श्री
हरि चंद शाह

पिता- राम दोला फकत राम, पोट

दोला बसवग, श्रीवपुर, डफि कब्र हपरा जिला बलिया

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर श्रीवपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-77
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उत्तकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को
अपराहन 011.00 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

42

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/557

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री सुनील कुमार डालगी सुरेश
सुपरी

Address B-185 सोरना सैक्टर-35
नौएडा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हवापुरा के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 08/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गीतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/558

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती पुष्पलता देवी पत्नी श्री
प्रवीण कुमार
A/c - सोहेमान डीए मुजफ्फरपुर
बिहार

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर 4 बतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गीतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 01:50 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें क्यो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की बसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



92 ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

५५

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/559

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती पुशीता देवी श्री श्री कृष्णा
प्लॉट 3/4/5/6/7/8/9/10/11/12/13/14/15/16/17/18/19/20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40/41/42/43/44/45/46/47/48/49/50/51/52/53/54/55/56/57/58/59/60/61/62/63/64/65/66/67/68/69/70/71/72/73/74/75/76/77/78/79/80/81/82/83/84/85/86/87/88/89/90/91/92/93/94/95/96/97/98/99/100/101/102/103/104/105/106/107/108/109/110/111/112/113/114/115/116/117/118/119/120/121/122/123/124/125/126/127/128/129/130/131/132/133/134/135/136/137/138/139/140/141/142/143/144/145/146/147/148/149/150/151/152/153/154/155/156/157/158/159/160/161/162/163/164/165/166/167/168/169/170/171/172/173/174/175/176/177/178/179/180/181/182/183/184/185/186/187/188/189/190/191/192/193/194/195/196/197/198/199/200/201/202/203/204/205/206/207/208/209/210/211/212/213/214/215/216/217/218/219/220/221/222/223/224/225/226/227/228/229/230/231/232/233/234/235/236/237/238/239/240/241/242/243/244/245/246/247/248/249/250/251/252/253/254/255/256/257/258/259/260/261/262/263/264/265/266/267/268/269/270/271/272/273/274/275/276/277/278/279/280/281/282/283/284/285/286/287/288/289/290/291/292/293/294/295/296/297/298/299/300/301/302/303/304/305/306/307/308/309/310/311/312/313/314/315/316/317/318/319/320/321/322/323/324/325/326/327/328/329/330/331/332/333/334/335/336/337/338/339/340/341/342/343/344/345/346/347/348/349/350/351/352/353/354/355/356/357/358/359/360/361/362/363/364/365/366/367/368/369/370/371/372/373/374/375/376/377/378/379/380/381/382/383/384/385/386/387/388/389/390/391/392/393/394/395/396/397/398/399/400/401/402/403/404/405/406/407/408/409/410/411/412/413/414/415/416/417/418/419/420/421/422/423/424/425/426/427/428/429/430/431/432/433/434/435/436/437/438/439/440/441/442/443/444/445/446/447/448/449/450/451/452/453/454/455/456/457/458/459/460/461/462/463/464/465/466/467/468/469/470/471/472/473/474/475/476/477/478/479/480/481/482/483/484/485/486/487/488/489/490/491/492/493/494/495/496/497/498/499/500/501/502/503/504/505/506/507/508/509/510/511/512/513/514/515/516/517/518/519/520/521/522/523/524/525/526/527/528/529/530/531/532/533/534/535/536/537/538/539/540/541/542/543/544/545/546/547/548/549/550/551/552/553/554/555/556/557/558/559/560/561/562/563/564/565/566/567/568/569/570/571/572/573/574/575/576/577/578/579/580/581/582/583/584/585/586/587/588/589/590/591/592/593/594/595/596/597/598/599/600/601/602/603/604/605/606/607/608/609/610/611/612/613/614/615/616/617/618/619/620/621/622/623/624/625/626/627/628/629/630/631/632/633/634/635/636/637/638/639/640/641/642/643/644/645/646/647/648/649/650/651/652/653/654/655/656/657/658/659/660/661/662/663/664/665/666/667/668/669/670/671/672/673/674/675/676/677/678/679/680/681/682/683/684/685/686/687/688/689/690/691/692/693/694/695/696/697/698/699/700/701/702/703/704/705/706/707/708/709/710/711/712/713/714/715/716/717/718/719/720/721/722/723/724/725/726/727/728/729/730/731/732/733/734/735/736/737/738/739/740/741/742/743/744/745/746/747/748/749/750/751/752/753/754/755/756/757/758/759/760/761/762/763/764/765/766/767/768/769/770/771/772/773/774/775/776/777/778/779/780/781/782/783/784/785/786/787/788/789/790/791/792/793/794/795/796/797/798/799/800/801/802/803/804/805/806/807/808/809/810/811/812/813/814/815/816/817/818/819/820/821/822/823/824/825/826/827/828/829/830/831/832/833/834/835/836/837/838/839/840/841/842/843/844/845/846/847/848/849/850/851/852/853/854/855/856/857/858/859/860/861/862/863/864/865/866/867/868/869/870/871/872/873/874/875/876/877/878/879/880/881/882/883/884/885/886/887/888/889/890/891/892/893/894/895/896/897/898/899/900/901/902/903/904/905/906/907/908/909/910/911/912/913/914/915/916/917/918/919/920/921/922/923/924/925/926/927/928/929/930/931/932/933/934/935/936/937/938/939/940/941/942/943/944/945/946/947/948/949/950/951/952/953/954/955/956/957/958/959/960/961/962/963/964/965/966/967/968/969/970/971/972/973/974/975/976/977/978/979/980/981/982/983/984/985/986/987/988/989/990/991/992/993/994/995/996/997/998/999/1000/1001/1002/1003/1004/1005/1006/1007/1008/1009/1010/1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1024/1025/1026/1027/1028/1029/1030/1031/1032/1033/1034/1035/1036/1037/1038/1039/1040/1041/1042/1043/1044/1045/1046/1047/1048/1049/1050/1051/1052/1053/1054/1055/1056/1057/1058/1059/1060/1061/1062/1063/1064/1065/1066/1067/1068/1069/1070/1071/1072/1073/1074/1075/1076/1077/1078/1079/1080/1081/1082/1083/1084/1085/1086/1087/1088/1089/1090/1091/1092/1093/1094/1095/1096/1097/1098/1099/1100/1101/1102/1103/1104/1105/1106/1107/1108/1109/1110/1111/1112/1113/1114/1115/1116/1117/1118/1119/1120/1121/1122/1123/1124/1125/1126/1127/1128/1129/1130/1131/1132/1133/1134/1135/1136/1137/1138/1139/1140/1141/1142/1143/1144/1145/1146/1147/1148/1149/1150/1151/1152/1153/1154/1155/1156/1157/1158/1159/1160/1161/1162/1163/1164/1165/1166/1167/1168/1169/1170/1171/1172/1173/1174/1175/1176/1177/1178/1179/1180/1181/1182/1183/1184/1185/1186/1187/1188/1189/1190/1191/1192/1193/1194/1195/1196/1197/1198/1199/1200/1201/1202/1203/1204/1205/1206/1207/1208/1209/1210/1211/1212/1213/1214/1215/1216/1217/1218/1219/1220/1221/1222/1223/1224/1225/1226/1227/1228/1229/1230/1231/1232/1233/1234/1235/1236/1237/1238/1239/1240/1241/1242/1243/1244/1245/1246/1247/1248/1249/1250/1251/1252/1253/1254/1255/1256/1257/1258/1259/1260/1261/1262/1263/1264/1265/1266/1267/1268/1269/1270/1271/1272/1273/1274/1275/1276/1277/1278/1279/1280/1281/1282/1283/1284/1285/1286/1287/1288/1289/1290/1291/1292/1293/1294/1295/1296/1297/1298/1299/1300/1301/1302/1303/1304/1305/1306/1307/1308/1309/1310/1311/1312/1313/1314/1315/1316/1317/1318/1319/1320/1321/1322/1323/1324/1325/1326/1327/1328/1329/1330/1331/1332/1333/1334/1335/1336/1337/1338/1339/1340/1341/1342/1343/1344/1345/1346/1347/1348/1349/1350/1351/1352/1353/1354/1355/1356/1357/1358/1359/1360/1361/1362/1363/1364/1365/1366/1367/1368/1369/1370/1371/1372/1373/1374/1375/1376/1377/1378/1379/1380/1381/1382/1383/1384/1385/1386/1387/1388/1389/1390/1391/1392/1393/1394/1395/1396/1397/1398/1399/1400/1401/1402/1403/1404/1405/1406/1407/1408/1409/1410/1411/1412/1413/1414/1415/1416/1417/1418/1419/1420/1421/1422/1423/1424/1425/1426/1427/1428/1429/1430/1431/1432/1433/1434/1435/1436/1437/1438/1439/1440/1441/1442/1443/1444/1445/1446/1447/1448/1449/1450/1451/1452/1453/1454/1455/1456/1457/1458/1459/1460/1461/1462/1463/1464/1465/1466/1467/1468/1469/1470/1471/1472/1473/1474/1475/1476/1477/1478/1479/1480/1481/1482/1483/1484/1485/1486/1487/1488/1489/1490/1491/1492/1493/1494/1495/1496/1497/1498/1499/1500/1501/1502/1503/1504/1505/1506/1507/1508/1509/1510/1511/1512/1513/1514/1515/1516/1517/1518/1519/1520/1521/1522/1523/1524/1525/1526/1527/1528/1529/1530/1531/1532/1533/1534/1535/1536/1537/1538/1539/1540/1541/1542/1543/1544/1545/1546/1547/1548/1549/1550/1551/1552/1553/1554/1555/1556/1557/1558/1559/1560/1561/1562/1563/1564/1565/1566/1567/1568/1569/1570/1571/1572/1573/1574/1575/1576/1577/1578/1579/1580/1581/1582/1583/1584/1585/1586/1587/1588/1589/1590/1591/1592/1593/1594/1595/1596/1597/1598/1599/1600/1601/1602/1603/1604/1605/1606/1607/1608/1609/1610/1611/1612/1613/1614/1615/1616/1617/1618/1619/1620/1621/1622/1623/1624/1625/1626/1627/1628/1629/1630/1631/1632/1633/1634/1635/1636/1637/1638/1639/1640/1641/1642/1643/1644/1645/1646/1647/1648/1649/1650/1651/1652/1653/1654/1655/1656/1657/1658/1659/1660/1661/1662/1663/1664/1665/1666/1667/1668/1669/1670/1671/1672/1673/1674/1675/1676/1677/1678/1679/1680/1681/1682/1683/1684/1685/1686/1687/1688/1689/1690/1691/1692/1693/1694/1695/1696/1697/1698/1699/1700/1701/1702/1703/1704/1705/1706/1707/1708/1709/1710/1711/1712/1713/1714/1715/1716/1717/1718/1719/1720/1721/1722/1723/1724/1725/1726/1727/1728/1729/1730/1731/1732/1733/1734/1735/1736/1737/1738/1739/1740/1741/1742/1743/1744/1745/1746/1747/1748/1749/1750/1751/1752/1753/1754/1755/1756/1757/1758/1759/1760/1761/1762/1763/1764/1765/1766/1767/1768/1769/1770/1771/1772/1773/1774/1775/1776/1777/1778/1779/1780/1781/1782/1783/1784/1785/1786/1787/1788/1789/1790/1791/1792/1793/1794/1795/1796/1797/1798/1799/1800/1801/1802/1803/1804/1805/1806/1807/1808/1809/1810/1811/1812/1813/1814/1815/1816/1817/1818/1819/1820/1821/1822/1823/1824/1825/1826/1827/1828/1829/1830/1831/1832/1833/1834/1835/1836/1837/1838/1839/1840/1841/1842/1843/1844/1845/1846/1847/1848/1849/1850/1851/1852/1853/1854/1855/1856/1857/1858/1859/1860/1861/1862/1863/1864/1865/1866/1867/1868/1869/1870/1871/1872/1873/1874/1875/1876/1877/1878/1879/1880/1881/1882/1883/1884/1885/1886/1887/1888/1889/1890/1891/1892/1893/1894/1895/1896/1897/1898/1899/1900/1901/1902/1903/1904/1905/1906/1907/1908/1909/1910/1911/1912/1913/1914/1915/1916/1917/1918/1919/1920/1921/1922/1923/1924/1925/1926/1927/1928/1929/1930/1931/1932/1933/1934/1935/1936/1937/1938/1939/1940/1941/1942/1943/1944/1945/1946/1947/1948/1949/1950/1951/1952/1953/1954/1955/1956/1957/1958/1959/1960/1961/1962/1963/1964/1965/1966/1967/1968/1969/1970/1971/1972/1973/1974/1975/1976/1977/1978/1979/1980/1981/1982/1983/1984/1985/1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995/1996/1997/1998/1999/2000/2001/2002/2003/2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022/2023/2024/2025/2026/2027/2028/2029/2030/2031/2032/2033/2034/2035/2036/2037/2038/2039/2040/2041/2042/2043/2044/2045/2046/2047/2048/2049/2050/2051/2052/2053/2054/2055/2056/2057/2058/2059/2060/2061/2062/2063/2064/2065/2066/2067/2068/2069/2070/2071/2072/2073/2074/2075/2076/2077/2078/2079/2080/2081/2082/2083/2084/2085/2086/2087/2088/2089/2090/2091/2092/2093/2094/2095/2096/2097/2098/2099/2100/2101/2102/2103/2104/2105/2106/2107/2108/2109/2110/2111/2112/2113/2114/2115/2116/2117/2118/2119/2120/2121/2122/2123/2124/2125/2126/2127/2128/2129/2130/2131/2132/2133/2134/2135/2136/2137/2138/2139/2140/2141/2142/2143/2144/2145/2146/2147/2148/2149/2150/2151/2152/2153/2154/2155/2156/2157/2158/2159/2160/2161/2162/2163/2164/2165/2166/2167/2168/2169/2170/2171/2172/2173/2174/2175/2176/2177/2178/2179/2180/2181/2182/2183/2184/2185/2186/2187/2188/2189/2190/2191/2192/2193/2194/2195/2196/2197/2198/2199/2200/2201/2202/2203/2204/2205/2206/2207/2208/2209/2210/2211/2212/2213/2214/2215/2216/2217/2218/2219/2220/2221/2222/2223/2224/2225/2226/2227/2228/2229/2230/2231/2232/2233/2234/2235/2236/2237/2238/2239/2240/2241/2242/2243/2244/2245/2246/2247/2248/2249/2250/2251/2252/2253/2254/2255/2256/2257/2258/2259/2260/2261/2262/2263/2264/2265/2266/2267/2268/2269/2270/2271/2272/2273/2274/2275/2276/2277/2278/2279/2280/2281/2282/2283/2284/2285/2286/2287/2288/2289/2290/2291/2292/2293/2294/2295/2296/2297/2298/2299/2300/2301/2302/2303/2304/2305/2306/2307/2308/2309/2310/2311/2312/2313/2314/2315/2316/2317/2318/2319/2320/2321/2322/2323/2324/2325/2326/2327/2328/2329/2330/2331/2332/2333/2334/2335/2336/2337/2338/2339/2340/2341/2342/2343/2344/2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353/2354/2355/2356/2357/2358/2359/2360/2361/2362/2363/2364/2365/2366/2367/2368/2369/2370/2371/2372/2373/2374/2375/2376/2377/2378/2379/2380/2381/2382/2383/2384/2385/2386/2387/2388/2389/2390/2391/2392/2393/2394/2395/2396/2397/2398/2399/2400/2401/2402/2403/2404/2405/2406/2407/2408/2409/2410/2411/2412/2413/2414/2415/2416/2417/2418/2419/2420/2421/2422/2423/2424/2425/2426/2427/2428/2429/2430/2431/2432/2433/2434/2435/2436/2437/2438/2439/2440/2441/2442/2443/2444/2445/2446/2447/2448/2449/2450/2451/2452/2453/2454/2455/2456/2457/2458/2459/2460/2461/2462/2463/2464/2465/2466/2467/2468/2469/2470/2471/2472/2473/2474/2475/2476/2477/2478/2479/2480/2481/2482/2483/2484/2485/2486/2487/2488/2489/2490/2491/2492/2493/2494/2495/2496/2497/2498/2499/2500/2501/2502/2503/2504/2505/2506/2507/2508/2509/2510/2511/2512/2513/2514/2515/2516/2517/2518/2519/2520/2521/2522/2523/2524/2525/2526/2527/2528/2529/2530/2531/2532/2533/2534/2535/2536/2537/2538/2539/2540/2541/2542/2543/2544/2545/2546/2547/2548/2549/2550/2551/2552/2553/2554/2555/2556/2557/2558/2559/2560/2561/2562/2563/2564/2565/2566/2567/2568/2569/2570/2571/2572/2573/2574/2575/2576/2577/2578/25



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/560

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री हनुमान चंड पुत्र श्री सोहन
श्याम भद्र न मकान नं० 31
ग्राम गाँडी नौएडा पार्ल एग्रिया
तहसील गौतमबुद्ध नगर

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हेवापुर के खपरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

46

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/56/

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती मंजू देवी पत्नी श्रीराम
SHR. Add - 101 लालपुर
शाहपुर

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर इंतपु के खसरा संख्या/मूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/562

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती का-ती देवी पत्नी श्री ओला
नाथ सराज Hdd- 301 रागरा
रउ-४२३८ चतापगा ३०३०

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर खतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/563

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री अब्दुल कलाम मुजा श्री मोहम्मद
आफिद Hdd- 123 पवन विहार
ग्रोडा कालोनी गान्धिमावाड़

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर बतूर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-57
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 07/03/2024 को
अपराह्न 01:00 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

59

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/564

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री लतीफ चंद्र शर्मा पुत्र
श्री श्री देव शर्मा
Add- I 149 D गली नं० 11 राइवाली
मोहम्मदीया बिल्डी

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हातपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

50

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/565

दिनांक: 05/13 /2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ।

सेवा में,

श्री दीवेश कुमार झा, श्री सुरेन्द्र
सिटी नंबर - याजूहट्टी चाना
वैकुण्ठपुर हावेली गोपालगंज
बिहार

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है ।

- (1) ग्राम/सैक्टर वैकुण्ठपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 12/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/566

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती विटोला मदनोत्री दहलु
कुमार मदन - बेलदरी, तदरी
हीमापुर 30 30

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर इकतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 193
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/24 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की दसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/567

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती कुल्लुव परनीश्री जितेंद्र
चौधरी - परलमनपुर पोस्ट
नौएडा आणसगाँव

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैबरपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिचरित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/ 568

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री सुशील कुमार उमेश रामपाल
सिई Add- बोडेपुर नवलगाँव
जहलवा औरंगा 3090

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर दुबलापुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 05/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योडस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

102

54

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/569

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री आनंद कुमार उल्लासी
चरण Add- H-41 आली बिहार
मवाली जली स्मिता बिहार
दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हेक्टरपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-133 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 01.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूरक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-2, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

103

55

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/570

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री प्रकाश कुमार झा पुत्र श्री राम
सैक्टर नं० 11 - आदित्यपुर
बलरामपुर सारन जिला सारन
बिहार

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैलतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 12/03/2024 को
अपराहन 01/07 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें क्यो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर
ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/571

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री चंदन कुमार उल्लास सेक्टर 328
Add- C-31113 सेक्टर 328
नौएडा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हैबलपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अघोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

105

59

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/572

दिनांक: 05/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री कल्याण झा पुत्र श्री राम
खेकक जमा प्लॉट- अनाधिकृत
बलाय द्रुपद लक्ष्मणन लक्ष्मीपुर
गिहार

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर ईशतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/2024 को अपराहन 07/03/2024 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रैटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

106

50

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/523

दिनांक: 23 / 02 / 2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री. लतीफ कुमार पुत्र श्री नैजाम
प्लॉट नं० - 1 - 2024, ज.नं०
श्रीमती मासूमिन सिद्दीकी

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर खेतपुर को खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59 .. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रैटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 01/03/24 को अपराहन 01/03/24 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आमसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
वृत्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रैटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/524

दिनांक: 29/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती जानकी देवी पत्नी श्री रामानन्द
लिब्रेरी मॉड- 99/3 टारिजनवस्ती
सीतापुर बरबरपुर किल्ला

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर इकतपुर के खसरा संख्या/मुखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें ज्यो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

108

60

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/525

दिनांक: 29/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री दीपक कुमार पुत्र श्री अर्जुन
चौधरी Hold - C-458-कू
अशोक नगर माता डेरी बलुंधरा
इ.क.रोड पूर्व दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैबतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/576

दिनांक: 29 / 2 / 2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती ज्ञानद्वी पञ्जी श्री क्लियर
ऑफिस Hvd-6-673 मंगोलपुरी
दलाक 6 दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर देवपुर के खसरा संख्या/शुल्खण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आवसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/527

दिनांक: 29/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री धीरेज कुमार उता श्री सुनियता
पुस्तक मंदिर - गांव सीतेर दिवान
विहार

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैबतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्यधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/528

दिनांक: 29/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मीरा यासमीन, इरललम
Add: 29/02/E-25 इडा
कॉम्प तिलोकपुरी दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर इंबतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
... तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सन्धति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सन्धति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

1
विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/529

दिनांक: 29/10/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती हीरामणी पाठक पत्नी
श्री चन्द्र शेखर पाठक HOD - कंप्लैक्स
श्री साईकट इरोला सेंक्टर-5
नौरडा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर ईशतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

113

GS

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/530

दिनांक: 29/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती नीलम देवी पत्नी श्री
अरवि-व आर्य-सहय
बेलाही मधुवनी विहार

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हनुमन्तपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्यधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट न०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/531

दिनांक: 25/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती उमा देवी पत्नी
श्री अमित सिंह पत्नी - 12/11/11
अरमौर सड़क चौड़ा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर इंटरपु के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्रवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/532

दिनांक: 29/10/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती काविता देवी पत्नी श्री संदेशु
लिटि हवेल- 254 शोवापुर
साहिबाबाद जालियाबाद

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हैकापुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

116

स
68

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/54

दिनांक: 29 / 02 / 2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती ज्योति पत्नी श्री राधुरे-3 कुमर
Hdd- ज 24 ड गली नं०-18
उत्तम नगर दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर इलाहाबाद के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपको द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र को समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र को समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अटोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नौलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/533

दिनांक: 29/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीस्त्री उषा देवी पत्नी श्री अमन
लाल Meena गौतमपुरी
प्रतापगढ़ 2030

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर बतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विरोध कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/534

दिनांक: 29/10/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती नारिक देवी पत्नी श्री विजेश
कुमार Mehta - रास कोवा
पोस्ट सनेवा कटमानपुर वस्ती

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैवापुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें क्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्यधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

119

श
न

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/535

दिनांक: 29/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती सुनीता सुता मल्ली श्री विशेश्वर
सुता मल्ली 751158 रंगितपुरा
कालिपुरा नगर

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर खेतपुर को खसरा संख्या/मूखण्ड संख्या- 59 .. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट न०-01, सैक्टर नॉलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/536

दिनांक: 29 / 02 / 2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री लोमबीर सिंह उलझी इगार सिटी
Address ग्राम खलपुर कला मुन्डा मेडा
जनमरीदा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर इंवलपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59 .. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पृथक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट न०-01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

73

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/537

दिनांक: 29/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती संपू देवी पत्नी श्री रामभूषण
Address गली न० 7 लखडडा
सेक्टर-45 नौएडा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हैथतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वधो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

122

74

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/538

दिनांक: 29/10/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री नील कुमार डल श्री तिलकराम
Avt- दीघट्ट हरल बागपत UP

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर हवतपूर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की बसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृत मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-०१, सैक्टर नॉलेज पार्क-४, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-१/२०२४/५५०

दिनांक: २९/०२/२०२४

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ की धारा १० के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री संदीप कुमार पुत्र श्री सुनील
कुमार
Add- सैक्टर-४३ नौएडा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (१) ग्राम/सैक्टर इबतपुर के खसरा संख्या/मुखण्ड संख्या- ७७
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-१ में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-२ में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (२) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-१ में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (३) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के ०७ दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें कथो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृतो मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

77

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/541

दिनांक: 29/10/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती अलोचना देवा पत्नी
श्री जयू राम
Add- शांति क्लब रोड-ब्लॉक
ग्रोडा कालोनी गौतमबुद्ध नगर

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर इंटरपु के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक.....को अपराहन.....बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/493

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री पद्म सिंह पुत्र श्री राम लनेही
Add- ग्राम नगला लोरी श्रावणा
फिरोजाबाद 3090

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर ईलापुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस को पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 09/03/24 को अपराहन 03:00 बजे अधोहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें क्यो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/494

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती पूजा सिंह पत्नी श्री सुदेश
सिंह Add- 2083 गली नं० 8
कलाश नगर गौधी नगर
विल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हनुमपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 04/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

Le
विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नॉलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/495

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री अर्जुन कुमार पुत्र श्री मोती
जाल मुखिया Hdd- B-40 प्रशांत
गार्डन अडा कलौली गाजियाबाद

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हैबतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 04/03/2024 को अपराहन 01:30 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गाँतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/496

दिनांक: 27 / 02 / 2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती कान्ति
पत्नी श्री कुमल
सकान नं०-19, कल्याण खेरा,
लुममऊ, हरदोई (3050)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर इंवातपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
... तहसील दादरी जिला गाँतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 04/03/2024 को अपराहन... यजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की बसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नौलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

130

85
82

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/497

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री इरीयड सिटी डेवलपर्स लि.
Add. ग्राम विपाला रस्ता नं० 3
कलकत्ता-1 (3050)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर इरियाडा के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनावधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 08/03/2024 को अपराहन 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/498

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती सुनीता देवी
पत्नी श्री राज कुमार
मकान नं० डी-8, मेहक रोड,
खोडा कालोनी, गाजियाबाद (उ.प्र.)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर हैवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दें अन्यथा की दशा में दिनांक 04/03/24 को अपराहन 11:30 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/499

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री कंटी कुमार पुत्र श्री कंठिदसिंह

Address- राम विहाला 2 खलासपुर

बलेश्वर (3030)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर बलेश्वर के खासरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
... तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 07/03/2024 को अपराहन 12.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वर्यो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूत्रक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नौलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/500

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती रीता देवी
पत्नी श्री सुरेन्द्र सिंह
संकेत नं०. २९९, दुग्गी झोपड़ी,
सैक्टर - 8, नौएडा

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर इंकर पुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 24/03/24 को अपराहन 12 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की बसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/501

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती खुनीता
पत्नी श्री पंम कुमार
मकान नं०-507 गली नं०-1
बुरगा-नगर गाजिशाबाद (इ.ए.ए.)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैबतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 07/03/24 को अपराहन 6:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

135
07

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/502

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी श्री रवि
रमन लाल

Address: बकाल नं० 12 व नगर क्षेत्र डीए
नगर जोरानी झोलपुर बिहार

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हवलपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा
औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित
अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं
एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही
न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को
हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 01/03/24 को
अपराहन 01/03/24 बजे अद्योहरताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त
अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की बसूली आपसे कर
ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नॉलेंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर



पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/ 503

दिनांक: 27 / 04 / 2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ।

सेवा में,

श्री. रमेश कुमार पुत्र श्री सुन्दर
Add- सकार नं० 12/468 कल्याणपुरी
दिल्ली

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है ।

- (1) ग्राम/सेक्टर हैदरपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 04/05/24 को अपराहन 01/05/24 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की बसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलंज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/504

दिनांक: 27/07/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री अती सुनीता
पत्नी श्री अशोक कुमार
अबदुल्लापुर, इलाहाबाद
बुलंदशहर रेलवे रोड

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर द्वैतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर वे अन्यथा की दशा में दिनांक 03/08/24 को अपराहन 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

138

93
90

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/505

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती नीलम
पत्नी श्री सर्वेश्वर
सकान नं०-19, कल्लू खोरा, शंकर
हरपौड़ी (30-50)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैबतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 04/03/24 को अपराहन 12:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें व्यों न उक्त अवैध निर्माण को बल पत्रक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/586

दिनांक: 27/10/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती पिंकी देवी
पत्नी श्री शशि रंजन कुमार
पता- त्तारी, वारी डी.ए. - चरपोखरी,
जिला अजमेर, (विहार)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शाई गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समूचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 04/11/24 को अपराहन बजे अधीहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/507

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

सुनी अनुशाथा डाली जी दलवीर सिंह

Plot: स्थान नं० 1/343 प्लॉट-1054

दलवीर दलवीर पार्क-3 जी के

सोहन गार्डन रोड दिल्ली 110096

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर दुवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दें अन्यथा की दशा में दिनांक 04/03/24 को अपराहन 01:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयों न उक्त अवैध निर्माण को बल पुरक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैंक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/508

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती सोना देवी पत्नी श्री ध्यायिदा
सिंह

Add- 32315 गली नं० 5 सुगा नगर
सुरतका बाड़ दिल्ली 110094

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैंक्टर हवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 08/03/2024 को अपराह्न 01:00:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जगपद गौतमबुद्ध नगर

94

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/509

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्रीमती श्री दुर्गा
पत्नी श्री अमन कुमार
पता- शैलान्द मार्ग, सिटी कालोनी,
आरा, भोजपुर (बिहार)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हैवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 59
तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शाई गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 05/03/2024 को अपराहन 01:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें क्यो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-०१, सेंक्टर नॉलेज पार्क-४, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-१/२०२४/५१०

दिनांक: २७/२/२०२४

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम १९७६ की धारा १० के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मती सुनीता देवी
पत्नी श्री सुभाष शारदा
पता - इतरौरा गोरखापुर
उत्तर प्रदेश

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (१) ग्राम/सेक्टर इतरौरा के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- ५९
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-१ में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-२ में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (२) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-१ में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (३) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के ०७ दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक ०७/०३/२०२४ को अपराहन ०१:०० बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलोज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

144
96

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/577

दिनांक: 27/12/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री सती रूना देवी
पत्नी श्री मनोज कुमार चौधरी
पता- नगर जामा पोस्ट सोहरा
समस्तीपुर (बिहार)

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर ईश्वरपुर के खसरा संख्या/मूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 07/01/2025 को अपराहन 12:00 बजे अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गीतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/512

दिनांक: 27/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री रविंद्र कुमार उपायुक्त पिरिया

कुमार बाई

Add- D-530 ग्रेटर नौएडा नगर

दिल्ली 110042

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हेतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या-59
.. तहसील दादरी जिला गीतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 04/03/24 को अपराहन 01:00:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।

विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सेंक्टर नौतेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/1219

दिनांक: 19/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री मलरवान डबल प्लॉटपालक
ग्राम विपिनाना डबल डबल तिगरी

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सेक्टर हजतपु 5 के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 68 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 28/02/24 को अपराहन 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्यधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

अनुसूची-1 ग्राम हवेलपुर की खसला नं- 68 पर आदि निर्माण



अनुसूची-2 ग्राम हवेलपुर की खसला नं- 68 पर लॉटिंग डेवलपमेंट
आदि निर्माण आदि-

प्र
प्र

प्र
Shri



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/1299

दिनांक: 20/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री धर्मगौर, धनपाल, रामगौर, कुशीन
सकल वि० ग्राम देवतपुर

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर देवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 68 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 27/03/24 को अपराहन 11.00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (भूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/1292

दिनांक: 19/03/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण।

सेवा में,

श्री 51-5 पूरु डा. 12-11-24
12-11-24

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है।

- (1) ग्राम/सैक्टर हेततपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 68 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करे, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 28/03/24 को अपराहन 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें क्यो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

कार्यालय प्लॉट नं०:-01, सैक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी,
जनपद गौतमबुद्ध नगर

पत्रांक: प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-1/2024/1219

दिनांक: 19/02/2024

नोटिस

(उत्तर प्रदेश औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 10 के अंतर्गत)

प्रेषक,

मुख्य कार्यपालक अधिकारी
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण ।

सेवा में,

श्री मलरवान पुडा इतपुडा
ग्राम निविधाना एड जे तिरु

आपको निम्नलिखित नोटिस दिया जाता है ।

- (1) ग्राम/सैक्टर हवतपुर के खसरा संख्या/भूखण्ड संख्या- 68 तहसील दादरी जिला गौतमबुद्धनगर में नोटिस के पीछे अनुसूची-1 में दर्शायी गई सम्पत्ति ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में स्थित है। इस सम्पत्ति पर आपके द्वारा अनुसूची-2 में वर्णित अनाधिकृत निर्माण किया गया है/ किया जा रहा है, जिससे इस क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं एवं जनता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है अथवा पड़ने की सम्भावना है ।
- (2) अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अनुसूची-1 में वर्णित स्थल पर निर्माण आदि कोई ऐसी कार्यवाही न करें, जिससे कि ग्रेटर नौएडा क्षेत्र के समुचित नियोजन अथवा सुविधाओं पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े ।
- (3) आपको निर्देशित किया जाता है कि इस नोटिस प्राप्त के 07 दिवस के भीतर उक्त अवैध निर्माण को हटा ले व वर्णित स्थल को उसकी मूल दशा में परिवर्तित कर दे अन्यथा की दशा में दिनांक 28/02/24 को अपराहन 11:00 बजे अद्योहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें वयो न उक्त अवैध निर्माण को बल पूर्वक हटा दिया जाये तथा अवैध निर्माण को हटाने पर हुये व्यय की वसूली आपसे कर ली जाये।


विशेष कार्याधिकारी (मूलेख)
कृते मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण



GPS Map Camera


Noida, Uttar Pradesh, India
G-95, Block G, Sector 20, Ambedkar City, Noida, Uttar Pradesh 201301, India
Lat 28.609338°
Long 77.413464°
01/05/24 11:36 AM GMT +05:30




Google



GPS Map Camera




Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
JC57+WM6, Yusufpur, Nai Basti Dundahera, Ghaziabad, Uttar Pradesh
201009, India
Lat 28.608948°
Long 77.413174°
01/05/24 11:31 AM GMT +05:30



105



GPS Map Camera




Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
JC57+WM6, Yusufpur, Nai Basti Dundahera, Ghaziabad, Uttar Pradesh
201009, India
Lat 28.608944°
Long 77.413179°
01/05/24 11:31 AM GMT +05:30



 GPS Map Camera

Noida, Uttar Pradesh, India
G-95, Block G, Sector 20, Ambedkar City, Noida, Uttar Pradesh 201301, India
Lat 28.609343°
Long 77.413454°
01/05/24 11:36 AM GMT +05:30





GPS Map
Camera Lite

JC57+WM6, Yusufpur, Nai Basti Dundahera, Ghaziabad, Uttar Pradesh
201009, India

Latitude
28.609698333333334°

Longitude
77.41386666666668°

Local 11:39:07 AM
GMT 06:09:07 AM

Altitude 202 meters
Wednesday, 01.05.2024

1008



 GPS Map Camera

Noida, Uttar Pradesh, India
G-95, Block G, Sector 20, Ambedkar City, Noida, Uttar Pradesh 201301, India
Lat 28.6093365°
Long 77.413386°
01/05/24 11:34 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Noida, Uttar Pradesh, India
G-95, Block G, Sector 20, Ambedkar City, Noida, Uttar Pradesh 201301, India
Lat 28.609342°
Long 77.413452°
01/05/24 11:35 AM GMT +05:30



GPS Map Camera



Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
JC57+WM6, Yusufpur, Nai Basti Dundahera, Ghaziabad, Uttar Pradesh
201009, India
Lat 28.608933°
Long 77.41318°
01/05/24 11:28 AM GMT +05:30

Google

111 119



GPS Map Camera

Noida, Uttar Pradesh, India
G-95, Block G, Sector 20, Ambedkar City, Noida, Uttar Pradesh 201301, India
Lat 28.609344°
Long 77.413448°
01/05/24 11:35 AM GMT +05:30





G-95, Block G, Sector 20, Ambedkar City, Noida, Uttar Pradesh 201301, India


Latitude
28.609368333333336°

Longitude
77.41346166666668°

Local 11:35:42 AM
GMT 06:05:42 AM

Altitude 202 meters
Wednesday, 01.05.2024

113



162

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
JC57+WM6, Yusufpur, Nai Basti Dundahera, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201009, India
Lat 28.609694°
Long 77.413839°
01/05/24 11:39 AM GMT +05:30




Google



GPS Map Camera





GPS Map Camera

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

JC57+WM6, Yusufpur, Nai Basti Dundaheera, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201009, India

Lat 28.609416°

Long 77.413555°

01/05/24 08:32 AM GMT +05:30




Google



GPS Map Camera



Ghaziabad, Uttar Pradesh, India
Saya Zion Tower-C, SAYA ZION, E Block, Gaur City 1, Sector 4, Ghaziabad,
Uttar Pradesh 201009, India
Lat 28.61113°
Long 77.423123°
01/05/24 08:33 AM GMT +05:30



GPS Map Camera




Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

JC57+WM6, Yusufpur, Nai Basti Dundahera, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201009, India

Lat 28.609799°

Long 77.414039°

01/05/24 08:31 AM GMT +05:30



GPS Map Camera

Noida, Uttar Pradesh, India

Gaur city Noida extension, JC47+X4F, Ambedkar City, Noida, Uttar Pradesh 201009, India

Lat 28.607795°

Long 77.412459°

01/05/24 08:53 AM GMT +05:30



Google



GPS Map Camera

Ghaziabad, Uttar Pradesh, India

JC56+4P9, Yusufpur, Nai Basti Dundaheera, Ghaziabad, Uttar Pradesh 201009, India

Lat 28.607831°

Long 77.412244°

01/05/24 08:56 AM GMT +05:30



Google



ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न0-1 सैक्टर नोलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला-गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक- प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-सीवर/2024/2580

दिनांक 26/03/2024

अनुस्मारक-1

सेवा में,

अधिकाारी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नहर
ओखला नई दिल्ली-25

विषय:- ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में शिवम एन्कलेव कालोनी ग्राम पुराना हेवतपुर में हो रहे अवैध निर्माण तथा अशुद्धीकृत सीवेज हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-सीवर/2024/2545 दिनांक 05.03.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिसमें माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या ओ.ए. संख्या 649/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में अवैध निर्मित कालोनी शिवम एन्कलेव के अशुद्धीकृत सीवेज के प्रवाह की रोकथाम हेतु तत्काल वैधानिक कार्यवाही किया जाना है। तत्कम में अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र जो कि आपके विभाग के कमाण्ड क्षेत्र में है। उक्त डूब क्षेत्र में शिवम एन्कलेव कालोनी पुराना हेवतपुर ग्राम के समीप बड़े पैमाने पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किया गया है। जिससे उत्सर्जित होने वाला दूषित जल तथा सीवेज सीधे ही हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जाता है। हिण्डन नदी का डूब क्षेत्र आपके कमाण्ड क्षेत्र में होने के कारण किसी भी प्रकार के निर्माण की अनापत्ति एवं रोकथम की कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जाती है। समाचार पत्र में प्रकाशित है कि आपके द्वारा नौएडा फेस-3 के अन्तर्गत हिण्डन नदी में कूड़ा व मलवा डालने के मामले में तीन नामजद व कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। परन्तु शिवम एन्कलेव के विरुद्ध आपके द्वारा वर्तमान तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है, जो कि अत्यन्त खेद का विषय है।

शिवम एन्कलेव कालोनी अवैध रूप से विकसित की गयी है, जिसमें ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य सम्पादित नहीं कराया गया है। डूब क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से निर्मित निजी कालोनियों के विरुद्ध आपके विभाग द्वारा पूर्व में भी कार्यवाही की गयी थी, वर्तमान में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में निर्मित विभिन्न अवैध कालोनियों तथा शिवम एन्कलेव कालोनी के विरुद्ध आपके विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में शिवम एन्कलेव कालोनी के अवैध निर्माण को हटाने तथा शिवम एन्कलेव कालोनी द्वारा अशुद्धीकृत सीवेज को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने की रोकथाम की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या ओ.ए. 649/2023 में अग्रिम नियत तिथि 06.05.2024 से पूर्व माननीय न्यायालय में प्रति उत्तर दाखिल किया जा सके।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(जितेन्द्र गौतम)

2 महाप्रबन्धक-सीवर

प्रतिलिपि:-

- स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी0) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- जिलाधिकारी, महोदय गौतमबुद्ध नगर को सादर सूचनार्थ।
- क्षेत्रीय कार्यालय, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, प्रथम तल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, सैक्टर बीटा-2 ग्रेटर नौएडा गौतमबुद्ध नगर (उ0 प्र0) को सूचनार्थ।
- वरिष्ठ प्रबन्धक-सीवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

प्लॉट न०-1 सैंक्टर नोलेज पार्क-4 ग्रेटर नौएडा सिटी
जिला-गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

पत्रांक- प्रोजेक्ट/वर्क सर्किल-सीवर/2024/2545

दिनांक 05/03/2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता
हैड वर्क्स खण्ड आगरा नगर
ओखला नई दिल्ली-25

विषय:- ग्रेटर नौएडा परिक्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में शिवम एन्कलेव कालोनी ग्राम पुराना हेबतपुर में हो रहे अवैध निर्माण तथा अशुद्धीकृत सीवेज हिण्डन नदी में प्रवाहित किये जाने की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित वाद संख्या ओ.ए. संख्या 649/2023 में पारित आदेश के अनुपालन में अवैध निर्मित कालोनी शिवम एन्कलेव के अशुद्धीकृत सीवेज के प्रवाह की रोकथाम हेतु तत्काल वैधानिक कार्यवाही किया जाना है। तत्कम में अवगत कराना है कि ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र जो कि आपके विभाग के कमाण्ड क्षेत्र में है। उक्त डूब क्षेत्र में शिवम एन्कलेव कालोनी पुराना हेबतपुर ग्राम के समीप बड़े पैमाने पर अनाधिकृत रूप से अवैध निर्माण किया गया है। जिससे उत्सर्जित होने वाला दूषित जल तथा सीवेज सीधे ही हिण्डन नदी में प्रवाहित किया जाता है। हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निर्माण की अनापत्ति एवं रोकथाम को कार्यवाही सिंचाई विभाग द्वारा की जाती है।

शिवम एन्कलेव कालोनी अवैध रूप से विकसित की गयी है, जिसमें ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण द्वारा कोई कार्य सम्पादित नहीं कराया गया है। डूब क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से निर्मित निजी कालोनियों के विरुद्ध आपके विभाग द्वारा पूर्व में भी कार्यवाही की गयी थी, वर्तमान में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में निर्मित विभिन्न अवैध कालोनियों तथा शिवम एन्कलेव कालोनी के विरुद्ध आपके विभाग द्वारा तत्काल कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

अतः उपरोक्त के क्रम में आपसे अनुरोध है कि ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अन्तर्गत हिण्डन नदी के डूब क्षेत्र में शिवम एन्कलेव कालोनी के अवैध निर्माण को हटाने तथा शिवम एन्कलेव कालोनी द्वारा अशुद्धीकृत सीवेज को हिण्डन नदी में प्रवाहित करने की रोकथाम की आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें। जिससे कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा वाद संख्या ओ.ए. 649/2023 में पारित आदेश का ससमय अनुपालन हो सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि:-

- स्टाफ ऑफिसर को अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (डी०) महोदय के सादर अवलोकनार्थ।
- वरिष्ठ प्रबन्धक-सीवर को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- गार्ड फाईल।

(जितेन्द्र गौतम)
महाप्रबन्धक-सीवर

(जितेन्द्र गौतम)
महाप्रबन्धक-सीवर